कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,मध्यप्रदेश.
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 2167/तकनीकी/2012 भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर 2012

प्रति,

समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/
उप पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषय- दस्तावेजों में पद मुद्रा के साथ उप पंजीयक का नाम भी पृष्ठांकन में अंकित किये जाने के संबंध में।

---00---

यह ध्यान में आया है कि पंजीबद्ध दस्तावेजों में उप पंजीयकों द्वारा सिर्फ पदनाम "उप पंजीयक" की मुद्रा (Seal) लगाई जा रही है, जिससे निरीक्षण/ ऑडिट के समय यह जानना कठिन हो जाता है कि उक्त दस्तावेज का पंजीयन वस्तुतः किस उप पंजीयक द्वारा किया गया है। जिन कार्यालयों में दो या दो से अधिक उप पंजीयक पदस्थ हैं, उनमें उप पंजीयकों द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि किस क्षेत्र कमांक के उप पंजीयक द्वारा उक्त दस्तावेज का पंजीयन किया गया है। यह स्थिति उचित नहीं है।

2. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक दस्तावेज पर अपने नाम, पदनाम, क्षेत्र कमांक, तथा स्थान की मुद्रा लगाने के बाद ही अपने हस्ताक्षर किया करें, तथा पंजीबद्ध दस्तावेजों की कार्यालयीन प्रतियों के पृष्ठांकन पर भी उक्तानुसार मुद्रा लगाया जाना सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन कमांक 2168/तकनीकी/2012 भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर 2012

प्रतिलिपि :-

1. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन/वरिष्ठ जिला पंजीयक/ जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण में इन निर्देशों के पालन की समीक्षा करके पालन प्रतिवेदन एक माह में भेजें।
2. प्रभारी अधिकारी समन्वय शाखा मुख्यालय की ओर विभागीय समीक्षा बैठक में बिन्दु के रूप में शामिल करने हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश